# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

| अपील संख्या | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 12 / 124 / 2018 | 27–07–2018 | 15–01–2019 |

01– हरेत पुत्र सुन्दरली जाति गुर्जर निवासी ग्राम सोतका सबतहसील बहादरपुर, जिला अलवर राज०

अपीलाण्ट

बनाम

01– उप तहसीलदार बहादरपुर, जिला अलवर

रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय उप तहसीलदार बहादरपुर
दिनांक 20.03.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू०
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 26 / 2018

उपस्थितः–

01–श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान –वकील अपीलाण्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील उप तहसीलदार बहादरपुर के आदेश दिनांक 20.03.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम सोतका की सरकारी सिवायचक भूमि के आराजी खसरा नम्बर 835 / 0.05 है० गै०मु०रास्ता पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ० को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम सोतका की सरकारी सिवायचक भूमि के आराजी खसरा नम्बर 835 / 0.05 है0 गै0मु0रास्ता पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 12.01.2018 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 20.03.2018 के विरूद्ध दिनांक 27.07.2018 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 24.09.2018 का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा कब्जा छोडना बताया गया है तथा भविष्य मे अतिक्रमण नहीं करने का निवेदन किया है। रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 14.11.2018 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं होना बताया है।

पत्रावली का परीक्षण किया गया। जिससे जाहिर होता है कि उप तहसीलदार बहादरपुर द्वारा छपे–छपाये साईक्लोस्टाईल प्रोफॉर्मा में आदेश जारी किये गये है तथा कोई दिमाग एप्लाई ना करके केवल रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई है। जिससे यह प्रतीत होता है कि आदेश जारी करते समय विधिक प्रकिया नहीं अपनाई गई है तथा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अतः अपील अपीलान्ट उप तहसीलदार बहादरपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलार्थी का सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 15–01–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ०पी०जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)